न्यायालय सेशन न्यायाधीश, धौलपुर (राज०)

पीठासीन अधिकारी :-- संजीव मागो, आर०जे०एस० (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध फौजदारी प्रकरण संख्या :- 260/2026

एफ० आई० आर० संख्या :- 550/2025, थाना मनियां , धौलपुर

अपराध अंतर्गत धारा :- 115(2), 309(4) भारतीय न्याय संहिता

धर्मेन्द्र पुत्र राधेश्याम, उम्र करीब 19 साल, निवासी करनसिंह का पुरा चौहानपुरा, पुलिस थाना दिहौली, जिला धौलपुर (राज०)

-प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, धौलपुर

-अप्रार्थी/अभियोगी

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा :- 483 बी०एन०एस०एस०

उपस्थिति :-

1- श्री भगवान सिंह नारौलिया, अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से ।

2- श्री शैलेन्द्र सिंह मथुरिया, लोक अभियोजक राज्य की ओर से ।

आदेश दिनांक : 09-03-2026

1) प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जरिये अधिवक्ता इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । नकल जमानत आवेदन विद्वान लोक अभियोजक को दिलाई गई ।

2) प्रकरण के तथ्यानुसार इस मामले में परिवादी विमल कुमार की ओर से एक तहरीरी रिपोर्ट दिनांक 27.12.2025 को थाना मनियां पर इस आशय की पेश की गई कि दिनांक 25.12.2025 को समय करीब शाम 7.15 बजे वह अपनी स्कूटी से पत्नी को लेकर धौलपुर से गांव सादिकपुर के लिये जा रहा था तो रास्ते में नयागांव से सादिकपुर के बीच टीकाराम के बाग के पास स्कूटी को खडा करके पेशाब करने लगा तो सामने से एक अपाची मोटअरसाईकिल रूकी जिस पर तीन लोग सवार थे और उन्होंने मेरी पत्नी कुसमा के साथ लूटपाट कर मंगलसूत्र छीन लिया और स्कूटी को भी ले जाने लगे तो मैंने रोका जिस पर मेरे साथ कट्टा के बट से मारपीट की जिस पर पत्नी चिल्लाई तो आस पास के खेतों से लोग मौके पर आ गये । उक्त तीनों आपस में बात कर रहे थे और एक का नाम अमित बुला रहे थे । मेरी जेब में रखे एटीएम कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस व चार सौ रूपये को लेकर भाग गये । तीनों को सामने आने पर पहचान सकता हूँ, इत्यादि । उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र मनियां, धौलपुर पर प्राथमिकी संख्या 550/25 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया व बाद

समस्त अनुसंधान प्रार्थी/ अभियुक्त धर्मेन्द्र एवं दो अन्य अभियुक्तगण अंकित व सूरज के विरुद्ध धारा 115(2), 309(4) भारतीय न्याय संहिता के आरोप बनना पाये गये हैं। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 4/3/2026 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है । प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अन्य कोई प्रकरण आपराधिक रिकार्ड के रूप में दर्ज होना नहीं बताया गया है ।

3) प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रार्थी/ अभियुक्त को झूंठा फंसाया गया है, उसने कोई जुर्म नहीं किया है, प्रार्थी/ अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं हुई है और न ही होना शेष है । प्रकरण के अन्य अभियुक्तगण अंकित व सूरज की जमानत पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार हो चुकी हैं एवं प्रार्थी/अभियुक्त का मामला उनसे भिन्न प्रकृति का नहीं है । प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना है । अतः उसे जमानत का लाभ प्रदान किया जावे ।

4) विद्वान लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के गंभीर अपराधों से संबंधित आरोप प्रमाणित पाये गये हैं अतः उसकी ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

5) उभयपक्ष की ओर से दिये गये तर्कों पर मनन किया गया एवं संबंधित अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

6) प्रस्तुत प्रकरण अभी अनुसंधान के स्तर पर है जिसमें समय लगने की संभावना है । प्रकरण में प्रार्थी/ अभियुक्त दिनांक 4/3/2026 से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है । हस्तगत प्रकरण के अन्य सहअभियुक्त अंकित व सूरज की जमानत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31/1/2026 द्वारा स्वीकार की जा चुकी है । अतः इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई मत व्यक्त किये बिना प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के एस.बी.क्रिमिनल मिसलेनियस जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 861/2021, खेत सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में दिनांक 25.1.2021 को प्रतिपादित मत को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत व उचित प्रतीत होता है।

7) परिणामस्वरुप प्रार्थी/अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र राधेश्याम, उम्र करीब 19 साल, निवासी करनसिंह का पुरा चौहानपुरा, पुलिस थाना दिहौली, जिला धौलपुर (राज०) की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 550/2025 थाना मनियां, धौलपुर से संबंधित प्रकरण में प्रस्तुत यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2, धौलपुर की संतुष्टि हेतु 25-25 हजार रुपये की दो

जमानत प्रार्थना पत्र बावत आदेश दिनांक 09/03/2026

जमानत एवं 50 हजार रुपये राशि का मुचलका अपनी नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत कर तस्दीक करादे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर रिहा किया जावे । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SMWP(CRIMINAL)NO० 4/2021 आदेश दिनांक 28/3/2023 में पारित दिशा-निर्देश की पालना में आदेश की प्रति अधीक्षक, जिला कारागार, धौलपुर को जरिये ई-मेल भेजी जावे ।

(संजीव मागो)
सेशन न्यायाधीश,
धौलपुर-राज०

यह आदेश आज दिनांक 09/03/2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया ।

(संजीव मागो)
सेशन न्यायाधीश,
धौलपुर-राज०

MANISH SHARMA
PA cum EA
"Authenticated Document"
Digitally signed by MANISH SHARMA
Date: 2026.03.10 12:15:21 +0530